

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरिता में  
लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1030/2024  
में  
दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1151/2024

=====

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पुराना सचिवालय, बेली रोड, पटना-800015
3. सचिव, शिक्षा विभाग, पुराना सचिवालय, बेली रोड, पटना-800015
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, पुराना सचिवालय, बेली रोड, पटना-800015
5. बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना
6. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना
7. संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. धीरेंद्र कुमार, पुत्र शंभू प्रसाद यादव, निवासी गोविंदपुर, डाकघर-चंदन, थाना-चंदन, जिला-बांका, पिन-814131
2. गुंजन कुमार, पुत्र भूषण शर्मा, निवासी सकुलाचक, डाकघर-समई थाना-मफ्फसिल, जिला-नवादा पिन-805104
3. राठी कश्यप, पुत्र पंकज कुमार झा, निवासी भातकुंडी, डाकघर-भातकुंडी थाना-बांका, जिला-बांका पिन-813109

4. अभिषेक कुमार, पुत्र सुरेंद्र कुमार यादव, निवासी सुल्तानपुर, डाकघर-अंदार थाना-अंदार, जिला-सिवान पिन-841231
5. रामचंद्र दास, पुत्र सियाराम दास, निवासी कल्याणपुर बस्ती पूरव, डाकघर-मोहिउद्दीन नगर (आर.एस.), थाना-मोहिउद्दीन नगर, जिला-समस्तीपुर पिन-848502
6. अमन कुमार गुप्ता, पुत्र राजू कुमार गुप्ता, निवासी गोपालपुर, डाकघर-गोपालपुर, थाना-नयागांव जिला-सारण पिन-841217
7. जय प्रकाश कुमार, पुत्र अशोक यादव, निवासी देवहरा, डाकघर-देवहरा, डाकघर- देवहरा, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद, पिन-824114
8. राजीव रंजन कुमार, पुत्र रवींद्र यादव, निवासी दिहुरी, डाकघर-दिहुरी, थाना-गोह जिला-औरंगाबाद पिन-824129
9. विमल कुमार, पुत्र कृष्णदेव प्रसाद सिंह, निवासी इनाई डाकघर-इनाई, थाना-बहेरी, जिला-दरभंगा पिन-847105
10. रवि कुमार, पुत्र बलराम चौधरी, निवासी नन्हकर जयरामपुर, डाकघर-धरमपुररत्ती, थाना-बिहपुर, जिला-भागलपुर, पिन-853201
11. दीक्षा, पुत्री संजीव कृष्ण, निवासी कोयलादेवा, डाकघर कोयलादेवा, थाना-फुलवरिया, जिला-गोपालगंज, पिन-841438
12. दिव्या कुमारी, पुत्री विजय कुमार ठाकुर, निवासी भागवत परसा, डाकघर-भागवत परसा, थाना-फुलवरिया, जिला-गोपालगंज, पिन-841425
13. सौरभ राज, पुत्र सतेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी दामरीबिघा, डाकघर-करपी, थाना-करपी, जिला-अरवल, पिन-804419

14. विशाल कुमार, पुत्र मुनीलालराय, निवासी काजीचक, डाकघर-कटकैरा, थाना-कोइलवर,  
जिला-भोजपुर पिन-802160
15. राहुल कुमार पांडे, पुत्र कुशेश्वर पांडे, निवासी गंगावालिया, डाकघर-बसही, थाना-कुदरा,  
जिला-कैमूर (भभुआ), पिन-821108
16. सुधांशु कुमार, पुत्र विजयमल कुमार राय, निवासी चित्रगुप्त कॉलोनी बिक्रमगंज,  
डाकघर- बिक्रमगंज, थाना-बिक्रमगंज, जिला-रोहतास, पिन-802212
17. रवि कुमार, पुत्र उमेश प्रसाद, निवासी बनवारा, डाकघर-चिक्सौरा, थाना- चिक्सौरा,  
जिला-नालंदा, पिन-801302
18. रवि कुमार, पुत्र रामुदय शर्मा, निवासी राजखरसा, डाकघर-कोइलभुपत, थाना-  
मेहंदीया, जिला-अरवल, पिन-804430
19. अक्षय कुमार, पुत्र सोनेलाल पासवान, निवासी रुसुलपुर विनु नगर, डाकघर-भीखनपुर  
थाना-अहियापुर जिला-मुजफ्फरपुर पिन-842004
20. साधना यादव, पुत्री समरथ यादव, निवासी विश्वपालपुर, डाकघर-बरैपर, थाना-  
तेजीबाजार, जिला-जौनपुर पिन-222144
21. श्रीकांत कुमार, पुत्र बालकृष्ण साह, निवासी बेराई, डाकघर-बेराई, थाना-हथौरी, जिला-  
मुजफ्फरपुर, पिन-843129
22. मनीष कुमार, पुत्र सदानंद यादव, निवासी बिशनपुर, डाकघर-बसाहा, थाना-पिपरा  
जिला- सुपौल, पिन-852131
23. शोभित सुमन, पुत्र संतोष कुमार मंडल, निवासी समेली, डाकघर-समेली, थाना-  
कुरसेला, जिला-कटिहार पिन-854101

24. यश मनन, पुत्र अनिरुद्ध नारायण, निवासी महावीर मंदिर लेन, महेंद्र, डाकघर-महेंद्र थाना-सुल्तानगंज जिला-पटना पिन-800006
25. विशाल भारती, पुत्र दिनेश प्रसाद मंडल, निवासी टिकापट्टी, डाकघर-टिकापट्टी, थाना-टिकापट्टी, जिला-पूर्णिया, पिन-854101
26. सोनम कुमारी, पत्नी मन्नु कुमार, निवासी कटारी, डाकघर-कटारी, थाना-कोरमा, जिला-शेखपुरा, पिन-811102
27. शाहिद खान, पुत्र शमशाद खान, निवासी करारी, डाकघर-करारी, थाना-दुर्गावती, जिला-कैमूर, पिन-821105
28. महिमा भारती, पुत्री विद्यांशु कुमार, निवासी पौनीहसनपुर, डाकघर-पौनीहसनपुर थाना-वैशाली, जिला-वैशाली पिन-844123
29. सच्चित कुमार, पुत्र लालबहादुर यादव, निवासी ररियाहा, डाकघर-घैलड़ थाना-घैलड़ जिला-मधेपुरा पिन-852124
30. अनुराग रंजन, पुत्र रणधीर कुमार तिवारी, निवासी पौनीहसनपुर, डाकघर-पौनीहसनपुर, थाना-वैशाली जिला-वैशाली, पिन-844123
31. मोनी कुमारी, पुत्री श्री सत्येंद्र साह, निवासी परमानंदपुर लाल, डाकघर-चित्रौली थाना-महुआ जिला-वैशाली पिन-844126
32. मो. शमशाद आलम, पुत्र मोहम्मद सज्जाद आलम, निवासी मरार दक्षिण, डाकघर-मरार दक्षिण, थाना-मुरकाही, जिला-खगड़िया, पिन-851205
33. रविजीत कुमार झा, पुत्र उमेश चंद्र झा, निवासी हरिपुर बक्शी टोल डाकघर-हरिपुर बक्शी टोल थाना-कलुआही जिला-मधुबनी पिन-847229

34. अंजनी कुमारी, पुत्री सुबोध कुमार, निवासी गाव- गवाई, डाकघर- गवाई, थाना-शेखपुरा  
जिला-शेखपुरा पिन-811105
35. धीरज कुमार, पुत्र रामानुज प्रसाद यादव, निवासी पचोई, डाकघर-देमा फतेहपुर, थाना-  
खिजेरसराय जिला-गया पिन-824233
36. अभिनव सिंह, पुत्र कृष्ण मोहन सिंह, निवासी सुल्तानपुर पूर्व, डाकघर-सुल्तानपुर पूर्व,  
थाना-मोहिउद्दीन नगर, जिला-समस्तीपुर पिन-848501
37. अनुपम विकास, पुत्र जय प्रकाश राम, निवासी माधोपुर, डाकघर-माधोपुर थाना-  
चंद्रमंडीह, जिला-जमुई पिन-811303
38. अजय पटेल, पुत्र अपरबल, निवासी ओधरासलेमपुर, डाकघर-नैनीजोर, थाना-रौनापर  
जिला-आजमगढ़ पिन-276122
39. गोलू कुमार पांडे, पुत्र दामोदर पांडे, निवासी हेमदापुर, डाकघर-परसिया, थाना-ब्रह्मपुर,  
जिला-बक्सर पिन-802111
40. आशीष त्रिपाठी, पुत्र रामसागर त्रिपाठी, निवासी चंदुपुर अमरायण, डाकघर-सराय  
अकील, थाना-सराय अकील, जिला-कौशांबी पिन-21216
41. विमलेश कुमार, पुत्र गुणा सिंह, निवासी लोदीपुर, डाकघर-सैदाबाद, थाना-पाली (काको)  
जिला-जहानाबाद पिन-804417
42. प्रमजीत कुमार, पुत्र हरeram मंडल, निवासी कोठड़ा, डाकघर-कोठड़ा, थाना-हयाघाट,  
जिला-दरभंगा पिन-847105
43. रेखा कुमारी, पुत्री सुभाष प्रसाद सिंह, निवासी शंकरपुर, डाकघर-शंकरपुर, थाना-रोशरा,  
जिला-समस्तीपुर पिन-848117

44. सरस्वती कुमारी, पुत्री श्रवण कुमार सिंह, निवासी राजवाड़ा, डाकघर-इनाई, थाना-बहेरी, जिला-दरभंगा पिन-847105
45. आयुष भूषण, पुत्र अनिल कुमार, निवासी कुर्था, डाकघर-कुर्था, थाना-कुर्था, जिला-अरवल, पिन-804421
46. ओम प्रकाश सिंह, पुत्र हृदय नारायण सिंह, निवासी देवस्थापुर, डाकघर-अतरौना, थाना-इटारही, जिला-बक्सर पिन-802123
47. गौरव राज, पुत्र सुधिस्ट नारायण ठाकुर, निवासी नवलपुर, डाकघर-मुशारी, थाना-काठिया, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन-843124
48. सनी कुमार, पुत्र अरविंद कुमार चौधरी, निवासी छाजान हरी राय टोला, डाकघर-छाजान हरी शंकर, थाना-कुरहानी, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन-844127
49. आशीष राज, पुत्र दिलीप साह, निवासी कुआरी, डाकघर कुआरी, डाकघर- कुआरी, थाना- कुरसकांटा, जिला-अरारिया, पिन-854332
50. रागनी वर्मा, पुत्री अनिल कुमार वर्मा, निवासी फखरपुर, डाकघर-फखरपुर, थाना-अरवल, जिला-अरवल, पिन-804401
51. सुप्रिता कुमारी, पुत्री राम चंद्र सिंह, निवासी रामपुर, डाकघर-इनाई, थाना- बहेरी, जिला-दरभंगा, पिन-847105
52. मो. शहंशाह अंसारी, पुत्र मोहम्मद निशार अंसारी, निवासी गाँव-प्रतापपुर, पोस्ट-धंध, थाना और जिला-जमुई, राज्य-बिहार, पिन कोड-811307
53. धीरज कुमार पांडे, पुत्र हिमांचल पांडे, निवासी गांव-बक्रहुआ, डाकघर-देवड़ा बाजार, थाना-जोगिया, जिला-सिद्धार्थ नगर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-272207

54. आशुतोष कुमार मिश्रा, पुत्र राजेश कुमार मिश्रा, निवासी गाँव-जाफराबाद, डाकघर-एकलमीसरौलिया, थाना/अनुमंडल-रुद्रपुर, जिला-देवरिया, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-274204
55. सुमन यादव, पुत्री दयाराम यादव, निवासी गाँव-नाहरपुर विजयनपुर सजहरा, डाकघर-रामपुर भागन, थाना - तरून, उप-मंडल-बीकापुर, जिला-फैजाबाद (अयोध्या), राज्य-उत्तर प्रदेश, पिनकोड-224203
56. भावेश कुमार, पुत्र राम जानकी साह, निवासी खम्हर, बेगुसराय, थाना-मुफ्फसिल थाना, जिला-बेगुसराय, राज्य-बिहार, पिन कोड-851131
57. प्रशांत श्रीवास्तव, पुत्र प्रमोद श्रीवास्तव, निवासी-वार्ड संख्या 2, सिकंदरपुर भंडेर, डाकघर और थाना-भंडेर, जिला-दतिया, राज्य-मध्य प्रदेश, पिन कोड-475335
58. मो. ताहसिन, पुत्र मो. रेजाउद्दीन, निवासी गाँव और डाकघर-कातेसर, थाना बिहटा, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन कोड-801103
59. नवीन कुमार सिंह, पुत्र सत्येंद्र कुमार सिंह, निवासी गाँव- बाराहारा, पोस्ट-सेमरांव, ब्लॉक और थाना-चारपोखारी, जिला-भोजपुर, राज्य-बिहार, पिन कोड-802203
60. विवेक कुमार, पुत्र आमोद ठाकुर, निवासी गाँव- बिरार, डाकघर-बेला शांतिकुटिर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी, राज्य-बिहार, पिन कोड-843333
61. जितेंद्र कुमार दीपक, पुत्र सुरेश यादव, निवासी गाँव-कामत टोला, डाकघर-पाकरेल, थाना- महेशखुंट, एस. डी.-गोगरी, जिला-खगड़िया, राज्य-बिहार, पिन कोड-851213
62. मोहम्मद महताब अंसारी, पुत्र मोहम्मद जफर अंसारी, निवासी अरारिया बैरगाछी मोमीन टोला, डाकघर-बैरगाछी, थाना-बैरगाछी अरारिया, जिला-अरारिया, राज्य-बिहार, पिन कोड-854311

63. अंकित कुमार यादव, पुत्र श्रीराम यादव, निवासी रेहाती (बनपुरवन) निवासी, डाकघर-त्रिलोचन महादेव, थाना-जलालपुर, जिला-जौनपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-222136
64. अंतिमा यादव, पुत्री राम प्रीत यादव, निवासी गाँव-बिसतारा, डाकघर-ताहर-किशुनदेवपुर, थाना-कसानगंज, जिला-आजमगढ़, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-276141
65. गौतम कुमार, पुत्र कुवर पाल सिंह, निवासी गाँव- सुलखानपुर, डाकघर-छाछा, एस. डी.-भोंगांव, जिला-मैनपुरी, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-205262
66. पवन कुमार, पुत्र सूरजराम, निवासी गांव/शहर-हरपालपुर, वार्ड नं.-11, गलान रोड, पोस्ट ऑफिस- सरसेद, थाना- हरपालपुर, सब डिवीजन-नौगोंग, जिला-छतरपुर, राज्य-मध्य प्रदेश, पिन कोड-471111
67. अभिषेक सिंह, पुत्र श्री शंकर वक्ष सिंह, निवासी 73, गाँव-करौंदी, डाकघर-बंभौर, थाना-रामपुर कलां, जिला-सीतापुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-261206
68. ऋषभ कुमार मोदनवाल, पुत्र श्री रविशंकर मोदनवाल, गाँव- माहुल, डाकघर-माहुल, थाना-अहिरौला, जिला-आजमगढ़, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-223225
69. शुभम गुप्ता, पुत्र श्री आदित्य कुमार गुप्ता, निवासी मोहल्ला-कुम्हरनटोला गोला गोकर्णनाथ, डाकघर और थाना-गोला गोकर्णनाथ, जिला-लखीमपुर खीरी, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-262802
70. धर्मेन्द्र कुमार, पुत्र कृष्ण पाल, निवासी गांव- पन्नाहा, पोस्ट-पन्नाहा, थाना-मरका, जिला-बांदा, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-210125
71. जुबैदा खातून, पुत्री अली अहमद, निवासी गाँव- मतलूबपुर, डाकघर-नुगपुर, थाना-जलालपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-224149

72. सुजाता, पुत्री विरेन्द्र प्रताप, निवासी-सी/ओ अमित शाक्य, 121/12 महाराणा प्रताप नगर एटा, डाकघर और थाना- एटा, जिला-एटा, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-207001
73. प्रज्जवल गुप्ता, पुत्र श्री मनोज गुप्ता, निवासी मीरपारा, नगर पंचायत हथगांव, वार्ड संख्या 8 दिघवाड़ा, हाथगांव, डाकघर और थाना-हाथगांव, जिला-फतेहपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-212652
74. रोहित केशरवानी, पुत्र श्री सुभाष चंद्र केशरवानी, निवासी-09 चौकता लोहरा भारतनगर शंकरगढ़ बड़ा प्रयागराज, जिला-प्रयागराज, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-212106
75. केएम प्रियंका यादव, पुत्री अरुण कुमार, निवासी गाँव-हफीजपुर, डाकघर-भारामऊ, थाना-रसूलाबाद, जिला-कानपुर देहात, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-209306
76. केएम पायल, पुत्री शिवप्रकाश वर्मा, निवासी इब्राहिमपट्टी चक हबसापुर बलिया, डाकघर-इब्राहिमपट्टी बलिया, थाना-भीमपुरा, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-221716
77. कमल सिंह, पुत्र अनिल सिंह, निवासी सिंधन कलां, डाकघर-सिंधन कलां, थाना-पैलानी, जिला-बांदा, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 210126
78. इंद्रेश कुमार मौर्य, पुत्र राघव प्रसाद मौर्य, निवासी गाँव- नाहसापर, पोस्ट-चकदाही, थाना-खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-272175
79. बबीता, पुत्री बीरेंद्र चौरसिया, निवासी गाँव-धरमेर, डाकघर-धरमेर, थाना-मेल, जिला-देवरिया, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-274505
80. अनुज कुमार सिंह, पुत्र हरीशचंद्र सिंह, निवासी 241, गाँव- हौजखास, डाकघर और थाना-जाफराबाद, जिला-जौनपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-222180

81. पुलकित शर्मा, पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा, निवासी नंद विहार फेज-1, सैय्यद चौराहा के पास, मेलरोज बाईपास रोड अलीगढ़, जिला-अलीगढ़, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-202001
82. जितेंद्र कुमार कुशवाहा, पुत्र श्री रामकेवल कुशवाहा, निवासी गांव -कुसुम महुवा, डाकघर-लक्ष्मीगंज, थाना-रामकोला, जिला-कुशीनगर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिनकोड-274306
83. अंजली मिश्रा, पुत्री महेंद्र प्रताप मिश्रा, निवासी गाँव -बसगांव, डाकघर-भागसा, थाना-सरपतहा, जिला-जौनपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-223102
84. अभिनव सिंह, पुत्र सुरेश कुमार, निवासी- घर संख्या 88, सेक्टर 6 बी, फेज 2, बुद्ध विहार आवास विकास मुरादाबाद, डाकघर और थाना-मझोला, जिला-मुरादाबाद, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-244001
85. रिंकी पाल, पुत्री श्री राम पाल, निवासी गांव -खुताहन, डाकघर-खुताहन, पुलिस स्टेशन - खुताहन, जिला-जौनपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-223104
86. अवधेश कुमार, पुत्र विरेंद्र सिंह, निवासी गांव -खैरवा, डाकघर-कोपिया, थाना-बखिरा, एस. डी.-खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-272175
87. सुचिता पांडे, पुत्री दिनेश पांडे, निवासी गांव -सिसवा बाजार बीजापर पांडे टोला, पोस्ट-सिसवा बाजार, उप-मंडल-निकलौल, थाना-कोठीभर, जिला-महाराजगंज, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन संख्या-273163
88. साइस्ता बानो, पुत्री सबीर हुसैन, निवासी बोध बीघा मेहंदिया अरवल, डाकघर-जयपुर, थाना-मेहंदिया, जिला-अरवल, राज्य-बिहार, पिन कोड-804428

89. मनु कुमारी, पुत्री रमेश कुमार, निवासी सी 1, 589 ए, गली सं. 22, लाल मंदिर के पास, डाकघर-हर्ष विहार, जिला-उत्तर पूर्वी दिल्ली, पिन कोड-110093
90. विवेक त्रिपाठी, पुत्र श्री ओंकार नाथ त्रिपाठी, निवासी गाँव -हरिपुर, डाकघर-कुटीरचक्की, थाना-जलालपुर, जिला-जौनपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-222146
91. साहनी नीलम कुमारी धर्मराज, पुत्री धर्मराज साहनी, निवासी गाँव -बीबीपुर, पोस्ट-फतेहपुर, तालुका-नरजा, मऊ, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-275304
92. विजय सौरभ राज सिंह, पुत्र जितेंद्र कुमार सिंह, निवासी राजपूत नेवारी, पोस्ट-भृगुआश्रम, थाना-जापलिंगंज थाना कोटवाली बलिया, जिला-बलिया, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-277001
93. नीतेश कुमार सिंह, पुत्र अजय कुमार सिंह, निवासी तपनी, जनौपुर, बलिया, डाकघर-जनौपुर, थाना-सुखपुरा, जिला-बलिया, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-277123
94. केएम शशि दुबे, पुत्री प्रमोद कुमार दुबे, निवासी गाँव- शास्त्री नगर चितबरगाँव, डाकघर और थाना-चितबरागाँव, जिला-बलिया, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-221713
95. नितीश कुमार पांडे, पुत्र रामजी पांडे, निवासी गाँव -बरियारपुर, डाकघर-सकारपुरा, थाना-बांसडीह, जिला-बलिया, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-277213
96. मोहम्मद अखलाक अहमद, पुत्र मोहम्मद एहसान उद्दीन, निवासी गाँव-रामनगर खरजामा, डाकघर-कोचर, थाना-खुदागंज, जिला-नालंदा, राज्य-बिहार, पिन कोड-801303
97. निर्भय शंकर, पुत्र जितेंद्र सिंह, निवासी गाँव-पश्चिम इंगलिश, पोस्ट-बिहटा, थाना-इमादपुर, जिला- भोजपुर, राज्य-बिहार, पिन कोड-802209
98. नितीश कुमार कुशवाहा, पुत्र सत्य नारायण महतो, निवासी गाँव-छारापट्टी, डाकघर-सिकियाही, थाना- खुटौना, जिला-मधुबानी, राज्य-बिहार, पिन कोड-847227

99. विकास कुमार, पुत्र संजय चौधरी, निवासी गाँव और डाकघर-भभुआ, थाना और एस.डी.-भभुआ, जिला-कैमूर, राज्य-बिहार, पिन कोड-821101
100. नीतू मौर्य, पुत्री रामनिवास मौर्य, निवासी गाँव-साउली, पोस्ट-पकाराहाट, पुलिस थाना-पन्नगंज, जिला-सोनभद्र, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन कोड-231213
101. विजय कुमार, पुत्र महेश शर्मा, निवासी गाँव-मुहम्मदपुर, डाकघर मुहम्मदपुर बादल, पुलिस थाना-सकड़ा, जिला-मुजफ्फरपुर राज्य-बिहार, पिन कोड-843119

..... प्रतिवादी/ओं

=====

**उपस्थिति :**

अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	श्री पी. के. शाही, महाधिवक्ता श्री अजय, जी.ए.-5 श्री सौरव कुमार, ए.सी. से जी.ए.-5
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता सुश्री सृष्टि सिंह, अधिवक्ता
हस्तक्षेपकर्ता के लिए	:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता श्री संकेत, अधिवक्ता श्री नवीन कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री जगजीत रोशन, अधिवक्ता
आयोग के अधिवक्ता	:	श्री संजय पांडे, अधिवक्ता श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

=====

पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट अपील---चयन और नियुक्ति---बिहार राज्य स्कूल शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा शर्तें) नियम, 2023---नियम 7---विद्वान रिट कोर्ट द्वारा पारित फैसले के खिलाफ अपील, जिसके

तहत अपीलकर्ताओं, बिहार राज्य और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे अपेक्षित योग्यता के अभाव में विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक शिक्षकों के रूप में आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति न होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों की संख्या की पहचान करें और आयोग को इसकी जानकारी दें और ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर आयोग को विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुसार आयोजित चयन से योग्यता के क्रम में एक पूरक परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है--विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवादियों का दावा था कि उन्होंने प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए आयोग द्वारा प्रकाशित योग्यता अंक हासिल किए थे आयोग द्वारा निर्धारित जन्म की कट-ऑफ तिथि, जिसमें उत्तरदाताओं की आयु चयनित अभ्यर्थियों से कम थी।

निष्कर्ष: कोई भी प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता जन्म तिथि की कट-ऑफ सीमा को पूरा नहीं कर पाया, यद्यपि उसने चयनित उम्मीदवारों के बराबर अंक प्राप्त किए थे---एक उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और उच्च न्यायालय आमतौर पर नियोक्ता की ओर से किसी दलील और दुर्भावना या मनमानी के सबूत के अभाव में कोई रिट जारी करने का निर्देश नहीं देगा---नियोक्ता पर सभी पदों को भरने का दायित्व नहीं है, लेकिन नियुक्त न करने के विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए---नियोक्ता/भर्ती एजेंसी का एक कट-ऑफ स्थिति तय करने का उत्तरदायित्व है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह तर्कहीन या दुर्भावना से दूषित न हो---प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ताओं में से कोई भी ऐसे उम्मीदवारों की श्रेणी में नहीं था जो कट-ऑफ अंकों और जन्म तिथि के आधार पर नियुक्त होने की योग्यता रखते हों---रिक्तियों को आगे बढ़ाया गया और लगातार दो चयन प्रक्रिया सक्रिय हुई---आलोचनापूर्ण निर्णय को दरकिनार किया गया---अपील को अनुमति दी गई। (पैरा- 2, 8, 20-26)

(1991) 3 एससीसी 47, 1995 सप.(2) एससीसी 230, (2005) 3 एससीसी 618,  
(2019) 12 एससीसी 798 .....संदर्भित।

=====

### पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

**कोरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश**

**और**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी**

**सी.ए.वी. निर्णय**

**(प्रति: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)**

**तिथि: 08-04-2025**

पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

2. बिहार राज्य और बिहार लोक सेवा आयोग (*संक्षेप में आयोग*) और अन्य ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18.07.2024 के निर्णय को चुनौती दी है। 2024 की संख्या 1151, जिसके तहत बिहार राज्य और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के रूप में आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की अपेक्षित योग्यता के अभाव में कक्षा 1 से 5 तक नियुक्ति न होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों की संख्या की पहचान करें और आयोग को इसकी सूचना दें और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर आयोग को विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुसार आयोजित चयन से योग्यता के क्रम में पूरक परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है, बशर्ते कि उम्मीदवार(ओं) ने कट-ऑफ अंक प्राप्त कर लिए हों और आयोग द्वारा निर्धारित जन्म की कट-ऑफ तिथि को पूरा करते हों।

3. प्रतिवादियों/आवेदकों ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि आयोग को विज्ञापन संख्या 26/2023, दिनांक 30.05.2023 के तहत कक्षा-1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए पूरक/संशोधित मेरिट सूची प्रकाशित करने के लिए एक परमादेश जारी किया जाए, जो सीटीईटी और डी.एल.एड. परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण अनंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की अयोग्यता/अयोग्यता के कारण भरी नहीं जा सकी थी; प्रतिवादियों के परिणाम को नई पूरक सूची में प्रकाशित किया जाए और उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाए और संबंधित स्कूल आवंटित किए जाएं; प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 से V तक के शिक्षकों के लिए पूरक/संशोधित मेरिट सूची में सभी श्रेणियों में जन्म की कट-ऑफ तिथि को कम करने और अपीलकर्ताओं को निर्देश देने के लिए कि वे विज्ञापन संख्या 26/2023 दिनांक 30.05.2023 की बची हुई रिक्तियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा की भावी रिक्तियों के साथ विलय/शामिल न करें।

4. आयोग ने दिनांक 30.05.2023 को विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया था, जिसमें कक्षा-1 से V तक के प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों, कक्षा-IX और X के लिए माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों और कक्षा XI और XII के लिए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 1,70,461 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सामान्य विषयों के लिए कक्षा-1 से V तक के प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापित पदों की संख्या 67,066 थी, जिससे उत्तरदाता चिंतित हैं।

5. विज्ञापन में पात्रता मानदंड प्रदान किया गया था कि समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मामले में, आयु को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि आयु समान होगी, तो वर्णमाला क्रम को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. उत्तरदाताओं ने दावा किया कि उनके पास सभी अपेक्षित योग्यताएं हैं, लेकिन उनके नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं थे, जिनकी संख्या 62,653 थी।

7. परिणाम प्रकाशित होने के समय, 24.05.2023 और 25.05.2023 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए कट-ऑफ अंक और जन्म की कट-ऑफ तिथि भी प्रकाशित की गई थी।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवादियों का दावा था कि उन्होंने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक आयोग द्वारा प्रकाशित योग्यता अंक प्राप्त किए थे, लेकिन आयोग द्वारा निर्धारित जन्म तिथि के कारण उनके नाम मेरिट सूची में शामिल नहीं किए गए थे, जिसमें प्रतिवादियों की आयु चयनित उम्मीदवारों से कम थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवादियों की शिकायत यह थी कि सामान्य विषय श्रेणी के तहत विज्ञापित 67,066 पदों के लिए केवल 62,653 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। इसके अलावा, चयनित उम्मीदवारों में से कई ने विभिन्न पदों के लिए उनमें से कुछ का बार-बार चयन होने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं किया था और कुछ के पास अपेक्षित योग्यता नहीं पाई गई थी, जिसमें रिक्तियां 4619 थीं। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादियों ने तर्क दिया था कि आयोग को रिक्तियों को भरने के लिए पूरक/अतिरिक्त चयन सूची प्रकाशित करनी चाहिए थी।

9. शिक्षकों का चयन एवं नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 (संक्षेप में नियमावली 2023) के अंतर्गत की जाती है।

10. प्रतिवादी अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रक्रिया से असंतुष्ट नहीं हैं। वे केवल यह चाहते हैं कि रिक्त पदों को अगली भर्ती प्रक्रिया में ले जाने के बजाय प्रतिवादियों से भरा जाए क्योंकि वे सभी मानदंड पूरे करते हैं।

11. नियम 2023 के नियम 7 के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों को योग्यता के संबंध में स्व-घोषणा के आधार पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जिसे नियुक्ति के समय सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक था।

12. ऊपर उल्लिखित इस प्रक्रिया को विज्ञापन संख्या 26/2023 (टीआरई-I) में भी शामिल किया गया था।

13. विभाग द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान कई अभ्यर्थी अपात्र पाये गये तथा कई अनुशंसित अभ्यर्थी कई पदों पर चयनित होने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके। मामले के इस पहलू पर विचार करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दिनांक 24.10.2023 को आयोग को पत्र लिखकर चयनित अभ्यर्थियों की अपात्रता के कारण सृजित रिक्तियों तथा कई पदों पर नियुक्त शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण न करने के लिए अनुशंसा भेजने के लिए विभाग की सहमति से अवगत कराया था।

14. आयोग ने दिनांक 26.10.2023 को पत्र लिखकर इसका उत्तर दिया, जिसमें उपरोक्त कारणों से उत्पन्न रिक्तियों के संबंध में विस्तृत विवरण तैयार करने का अनुरोध किया गया।

15. आयोग द्वारा 10.12.2023 को 467 उम्मीदवारों का पूरक परिणाम प्रकाशित किया गया था, लेकिन केवल उन रिक्तियों के लिए जो उम्मीदवारों के कई पदों पर चयन के कारण प्राथमिक शिक्षक के रूप में शामिल नहीं होने के कारण उत्पन्न हुई थीं। विभाग द्वारा योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों के कारण बनाई गई रिक्तियों के लिए कोई सिफारिशें नहीं की गई हैं।

16. अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 की शेष रिक्तियां, जिन पर आयोग द्वारा कोई सिफारिशें नहीं की गई थीं, विज्ञापन संख्या 27/2023 (टीआरई-II) में आगे बढ़ा दी गई थीं।

17. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तीन प्रकार की रिक्तियों की पहचान की गई, अर्थात् (i) आयोग द्वारा कम उम्मीदवारों की सिफारिश करने के कारण रिक्त रह गई सीटें, जिन्हें अगले विज्ञापन में आगे बढ़ाया गया; (ii) एक ही उम्मीदवार की कई पदों पर सिफारिश के कारण रिक्त रह गई सीटें, जिसके लिए 467 उम्मीदवारों का पूरक परिणाम प्रकाशित किया गया और (iii) अयोग्य उम्मीदवारों की सिफारिश के कारण रिक्त रह गई सीटें, जिन्हें भी अगले विज्ञापन में आगे बढ़ाया गया। तीसरी श्रेणी में रिक्ति की गणना अगले विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत परीक्षा के समापन के बाद ही की जा सकती है। इस कारण, एक ही उम्मीदवार की कई पदों पर सिफारिश के कारण रिक्त रह गई सीटों के लिए ही पूरक परिणाम प्रकाशित किया गया।

18. अपीलकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई है कि विभाग द्वारा किए गए संचार के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन मामले का तथ्य यह है कि कट-ऑफ अंकों का निर्धारण और परिणामों की घोषणा आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, न कि शिक्षा विभाग के। नियम 2023 के नियम 7 (iv) में यह प्रावधान है कि आयोग परीक्षा का पैटर्न निर्धारित करेगा जिसके लिए वह आवश्यकतानुसार विभाग से परामर्श और सलाह ले सकता है, जिसमें परिणाम या पूरक परिणाम की घोषणा से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं। नियम 2023 के नियम 7 (v) में यह भी प्रावधान है कि परीक्षा के लिए कट-ऑफ अंक तय करने का विवेक आयोग के पास होगा। शिक्षा विभाग को उस निर्णय में फेरबदल करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है।

19. यह भी तर्क दिया गया है कि टीआरई-III की भी घोषणा कर दी गई है और चयन प्रक्रिया चल रही है।

20. अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया है कि किसी भर्ती एजेंसी को वांछित योग्यता वाले व्यक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में सभी उपलब्ध पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नियोक्ता/भर्ती एजेंसी की जिम्मेदारी कट-ऑफ पद तय करने की है, जिसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण न हो।

21. इस न्यायालय द्वारा आयोग से रिट-याचिकाकर्ताओं/उत्तरदाताओं के योग्यता कट-ऑफ अंकों और योग्यता कट-ऑफ आयु को पूरा करने के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछने पर, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रिट-याचिकाकर्ताओं में से कोई भी उन उम्मीदवारों की श्रेणी में नहीं था जो कट-ऑफ अंकों और कट-ऑफ जन्म तिथि के आधार पर नियुक्त होने के योग्य हैं।

22. दरअसल, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने अपने दिनांक 22.11.2024 के पत्र के माध्यम से आयोग से अनुरोध किया था कि वह कक्षा-I से V तक के विद्यालय शिक्षकों के संबंध में विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में उन अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए, जिनके अंक और जन्म तिथि आयोग द्वारा उनकी श्रेणी में निर्धारित कट-ऑफ अंकों और जन्म तिथि के समान थे, लेकिन उनके नाम मेरिट सूची में नहीं थे। ऐसे अनुरोध के अनुसरण में, आयोग ने विभाग को सूचित किया कि ऐसे कोई अभ्यर्थी नहीं हैं जिनके अंक और जन्म तिथि आयोग द्वारा उनकी श्रेणी में निर्धारित कट-ऑफ अंकों और जन्म तिथि के समान हों। हालांकि रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी श्रेणियों में कट-ऑफ अंकों के बराबर अंक प्राप्त किए हैं, जिसके लिए आयु में वरिष्ठ उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई है।

23. आयोग और सरकार के उपर्युक्त रुख पर टिप्पणी करते हुए प्रतिवादियों/रिट याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ऐसी रिक्रियां मौजूद थीं जिन्हें टीआरई-

III में आगे नहीं बढ़ाया गया। वास्तव में, रिक्तियां उत्पन्न होती रहीं। आज भी रिक्तियां मौजूद हैं।

24. हालाँकि, हमने आयोग के इस स्पष्ट कथन को ध्यान में रखा है कि कोई भी प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता जन्म तिथि की कट-ऑफ सीमा को पूरा नहीं करता है, हालाँकि उन्होंने चयनित उम्मीदवारों के बराबर अंक प्राप्त किए हैं। हमने यह भी माना है कि रिक्तियों को आगे बढ़ाया गया था और लगातार दो चयन प्रक्रिया सक्रिय हुई थी।

25. इस संबंध में क्षेत्र में लागू कानून न तो संदेह में है और न ही विवाद में। नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि केवल विचार किए जाने का अधिकार है, जो राज्य की ओर से सद्भावपूर्ण कार्रवाई के अधीन है। उम्मीदवार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है और उच्च न्यायालय, अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग करते हुए, नियोक्ता की ओर से किसी भी दलील और दुर्भावनापूर्ण या मनमानी के सबूत के अभाव में आमतौर पर कोई रिट जारी करने का निर्देश नहीं देगा। [*शंकरसन डैश बनाम भारत संघ: (1991) 3 एस. सी. सी. 47; आर. एस. मित्तल बनाम भारत संघ: 1995 सप.(2) एस. सी. सी. 230 और भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम भानु लोध और अन्य: (2005) 3 एस. सी. सी. 618* का संदर्भ लें]

26. नियोक्ता पर सभी पदों को भरने का दायित्व नहीं है, लेकिन नियुक्ति न करने के विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। न्यायालय सामान्यतः पदों को न भरने के विवेक में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन ऐसे विवेक का प्रयोग मनमाना, स्वेच्छाचारी या सनकी नहीं होना चाहिए। [*दिनेश कुमार कश्यप और अन्य बनाम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और अन्य: (2019) 12 एस. सी. सी. 798* का संदर्भ लें।]

27. उपर्युक्त कारणों से, हमारा विचार है कि यह ऐसा उपयुक्त मामला नहीं है, जिसमें आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा जा सके।

28. यह आक्षेपित निर्णय, इस प्रकार, दरकिनार किया जाता है।

29. इस निर्णय के संदर्भ में सभी अंतर्वर्ती/अंतरिम आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

30. अपील सफल हो जाती है।

(आशुतोष कुमार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति: में सहमत हूँ।

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

प्रवीण-॥/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।